



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**मानव संसाधन प्रबंध विभाग**  
**शिलांग**

**भारतीय रिज़र्व बैंक शिलांग कार्यालय के सेवारत कर्मचारियों/ रिटायर्ड कर्मचारियों/ योग्य आश्रितों को क्रेडिट स्लिप पर दवाओं की आपूर्ति हेतु ई-निविदा-अवधि 01अप्रैल 2026- 31 मार्च 2027**

**ई-निविदा सं. - RBI/SHILLONG OFFICE/Others/9/25-26/ET/1022**

## अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक उम्मीदवारों को असाइनमेंट की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी की तैयारी में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक माना है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई वारंटी देता है या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की पूर्णता या सटीकता या इसके सहयोग से प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी के बारे में व्यक्त या निहित कोई अभ्यावेदन देता है।

जानकारी विस्तृत होने के प्रयोजनार्थ नहीं है। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक के पास असाइनमेंट को आगे न बढ़ाने या उसके कॉन्फ़िगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिलांग कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक शिलांग कार्यालय द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप पर दवाओं और औषधियों की आपूर्ति के लिए 01 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ताओं / केमिस्ट / ड्रगिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए ई-निविदा

**अनुक्रमणिका**

क्रम	ब्योरा	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	परिचय	4
अध्याय 2	निविदा कार्यक्रम	5
अध्याय 3	ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश	7
अध्याय 4	पात्रता	12
अध्याय 5	तकनीकी बोली का विवरण	13
अध्याय 6	नियम एवं शर्तें	14
अध्याय 7	कार्य का दायरा	17
अध्याय 8	अनुबंध की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें	22
अनुलग्नक 1	आवेदन फॉर्म	30
अनुलग्नक 2	अपेक्षित वार्षिक खरीद और कारोबार व निष्पादन गारंटी की राशि का विवरण	33
अनुलग्नक 3	बैंकर प्रमाण पर का प्रारूप	34
अनुलग्नक 4	निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप	35
अनुलग्नक 5	संविदा का प्रारूप	37
अनुलग्नक 6	बोली का प्रारूप	39
अनुलग्नक 7	वचनपत्र/घोषणा पत्र का प्रारूप	40

## अध्याय 1 – परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग (जिसे बाद में "बैंक" कहा जाएगा), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के बैंक चिकित्सा सलाहकार द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के एवज में अपने कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त लोगों को दवा की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ केमिस्टों/ ड्रगिस्टों (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'केमिस्ट' संदर्भित किया जाएगा) के पैनल के लिए द्वि-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल एक वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए होगा, जिसे बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा और सेवा प्रदाता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो साल (एक बार में एक वर्ष) की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होने के लिए सभी इच्छुक आपूर्तिकर्ता / केमिस्ट / ड्रगिस्ट एमएसटीसी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के लिए अपनी व्यवस्था करें जो एमएसटीसी पोर्टल पर पहुँच के लिए आवश्यक हो सकता है।

बैंक ऐसे केमिस्ट से आवेदन मांग रहा है जो पैनल में शामिल होने में रुचि रखते हैं। जो केमिस्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इस दस्तावेज़ में बताई गई अन्य शर्तों और नियमों से सहमत हैं, वे निर्धारित फॉर्म (अनुलग्नक-1) में अनुबंध के लिए आवेदन कर सकते हैं। निविदा दस्तावेज़ RBI की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) और [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल बैंक की वेबसाइट/MSTC ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सभी इच्छुक सप्लायर/केमिस्ट/दवा विक्रेता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए MSTC के साथ खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बोली लगाने वालों को सूचित किया जाता है कि वे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की व्यवस्था खुद करें, जिसकी ज़रूरत MSTC पोर्टल तक पहुंचने के लिए हो सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के मुख्य कार्यालय का पता 3री मंजिल, जीएमटीडी कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फन नोंगलाइट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय – 793001 है। इसके अलावा, RBI शिलांग के पास किराए के आवास हैं जो मुख्य कार्यालय के 5 किमी के दायरे में हैं। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका आउटलेट मुख्य कार्यालय के 5 किमी के दायरे में उपलब्ध हो।

बैंक को अलग-अलग वेंडरों के साथ समानांतर अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित है। अनुबंध उस बोली लगाने वाले को दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा छूट दर देगा। बैंक को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## अध्याय 2 – निविदा कार्यक्रम

ई निविदा सं	<b>E-Tender No. - RBI/ SHILLONG OFFICE/ Others/ 9/ 25-26/ ET/ 1022</b>
निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक शिलांग कार्यालय के सेवारत कर्मचारियों/ रिटायर्ड कर्मचारियों/ योग्य आश्रितों को क्रेडिट स्लिप पर दवाओं की आपूर्ति हेतु ई-निविदा-अवधि 01 अप्रैल 2026- 31 मार्च 2027
निविदा का माध्यम	एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से
ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर देखने/ डाउनलोड करने की उपलब्धता	20 फ़रवरी 2026 को शाम 04:00 बजे
पूर्व-बोली बैठक की तिथि (ऑफलाइन)	24 फ़रवरी 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे
ई-मेल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है	<a href="mailto:samadhanshillong@rbi.org.in">samadhanshillong@rbi.org.in</a>
पूर्व-बोली बैठक का स्थल	भारतीय रिज़र्व बैंक, 3री मंजिल, जीएमटीडी कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फन नोंगलाइट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय – 793001
निविदा की अनुमानित राशि जैसे वार्षिक खरीद	10,00,000/- *अधिक जानकारी के लिए Annex-II देखें
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	20,000 / - (कुल अनुबंध मूल्य का 2% होने के नाते प्रत्येक बोली लगाने वाले द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में एनईएफटी के रूप में जमा किया जाएगा).
भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते का विवरण	लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0SLPA01 (बाईं ओर से 5वां और 10वां अंक शून्य है) लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग

<p><b>लेनदेन शुल्क</b></p>	<p>एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेन-देन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार।</p> <p>कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग को हस्तांतरित न करें।</p>
<p><b>सुरक्षा जमानत</b></p>	<p>50,000 / - (अनुमानित लागत का 5%) (सफल बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)</p>
<p><b><a href="http://www.mstcecommerce.com/eproc">www.mstcecommerce.com/eproc</a> पर ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत की तिथि</b></p>	<p>20 फ़रवरी 2026 को शाम 4:00 बजे से</p>
<p><b>वेबसाइट पर ई-निविदा उपलब्ध होने की अंतिम तिथि</b></p>	<p>16 मार्च 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक</p>
<p><b>भाग-I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि व समय</b></p>	<p>17 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक</p>
<p><b>भाग -II (वित्तीय बोली) का खुलना</b></p>	<p>नियत समय में सूचित किया जाएगा।</p>

### **अध्याय 3- ई-खरीदी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश**

यह RBI का एक ई-खरीदी इवेंट है। ई- खरीदी सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर MSTC लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा इनवाइटिंग नोटिस और अगर कोई बाद में सुधार हुआ है, तो उसे पढ़ें और समझें।

#### **ई-निविदा की प्रक्रिया:**

A) रजिस्ट्रेशन: इस प्रक्रिया में वेंडर को MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है जो मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली जमा कर सकते हैं। टेक्नो-कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडर्स को इंटरनेट से जुड़े P.C. से बिडिंग के लिए अपना खुद का इंतज़ाम करना होगा। RBI ऐसे इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (डिजिटल सिग्नेचर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

खास ध्यान दें: प्राइस बिड और कमर्शियल बिड सिर्फ ऑनलाइन [www.mstcecommerce.com/eprocn/](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/) (वर्जन 3) पर ही सबमिट करनी होगी।

1) वेंडर्स को [www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें - डिटेल्स भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर सबमिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / रजिस्ट्रेशन पर जाएं।

वेंडर्स को उनके ईमेल पर एक सिस्टम जनरेटेड मेल मिलेगा जो उनके रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करेगा, यह वही ईमेल होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया था। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया MSTC/RBI से संपर्क करें, (ई-निविदा के तय समय से पहले)।

#### **उपलब्धता**

सभी कामकाजी दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी तकनीकी समस्याओं, ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए।

1. संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड शिलांग )

एमएसटीसी हेल्प डेस्क: 03612221199 (सिस्टम सेटिंग्स से संबंधित मुद्दों के लिए)

**क.** श्री देबायान कर, सहायक प्रबंधक, दूरभाष : 9831149790, email: [ghyopn3@mstcindia.in](mailto:ghyopn3@mstcindia.in)

**ख.** श्री प्रशांत चितरंजन, प्रबंधक , दूरभाष : 8592888286, email: [ghyopn2@mstcindia.in](mailto:ghyopn2@mstcindia.in)

**ग.** श्री अरुण कुमार , शाखा प्रबंधक (दूरभाष. 03612221191) ([bmghymstc@mstcindia.in](mailto:bmghymstc@mstcindia.in))

किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में, आप संपर्क कर सकते हैं

संपर्क व्यक्ति (भारिबैं, शिलांग कार्यालय)

1. श्री अभिनव वर्मा, प्रबंधक, मासंप्रवि

मोबाइल: 9696116297, [abhinavverma@rbi.org.in](mailto:abhinavverma@rbi.org.in)

2. श्री अभिनव बर्मन, सहायक प्रबंधक, मासंप्रवि

मोबाइल: 9677737594, [abhinavbarman@rbi.org.in](mailto:abhinavbarman@rbi.org.in)

### **गाइड**

1. सिस्टम की ज़रूरतें:

- ज़्यादा जानकारी के लिए, वेंडर <https://www.mstcecommerce.com/eprocnc/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।
- टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड ऑनलाइन [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर सबमिट करनी होंगी। बिड निविदा में दी गई तय तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

### **2 लेनदेन शुल्क के बारे में विशेष नोट:**

वेंडर "बिड फ़्लोर" में खास निविदा के लिए "ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस पेमेंट" लिंक का इस्तेमाल करके या अपने लॉगिन के ज़रिए "इवेंट कैटलॉग" में "पे ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस" के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस का पेमेंट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के पास NEFT या ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए पेमेंट करने की सुविधा होगी। NEFT चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर एक फ़ॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर चालान पर प्रिंट की गई डिटेल्स के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस की रकम जमा करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे। एक बार पेमेंट MSTC के तय बैंक अकाउंट में जमा हो जाने के बाद, ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस अपने आप ऑथराइज़ हो जाएगी। ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस वापस नहीं होगी। ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस का पेमेंट किए बिना किसी भी वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं मिलेगा।

**नोट:** बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट बंद होने के समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदा / सुधारों के बारे में जानकारी निविदा फाइनल होने तक सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर्स को यह पक्का करना होगा कि MSTC Ltd. के साथ वेंडर रजिस्ट्रेशन के समय उनकी दी गई कॉर्पोरेट ईमेल ID वैलिड और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैलिडिटी पक्का करें। NIT (निविदा इनवाइटिंग नोटिस) में बताई गई तय तारीख और समय के बाद ई-निविदा एक्सेस नहीं किया जा सकता।

#### 4. ई-निविदा में बोली लगाना:

नोट: वेंडर्स को डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए My menu में Upload Documents लिंक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाता है। कई डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 5 MB है।

एक बार डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर्स खास ई-निविदा के सामने Attach Document लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर डॉक्यूमेंट किसी ई-निविदा से अटैच नहीं किए जाते हैं, तो RBI उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

a) बिडर(ओं) को ई-निविदा के लिए ज़रूरी EMD, ई-निविदा फीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फीस अलग से सबमिट करनी होगी। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फीस है, तो वह वापस नहीं की जाएगी। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बिडर की EMD RBI द्वारा वापस कर दी जाएगी।

b) इस प्रोसेस में टेक्नो कमर्शियल बिड और प्राइस बिड सबमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

c) जिन बिडर ने ऊपर बताई गई फीस जमा कर दी है, वे ही MSTC वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर इंटरनेट के ज़रिए अपने टेक्निकल कमर्शियल बिड और प्राइस बिड सबमिट कर सकते हैं। ई-प्रोक्योरमेंट न्यू कॉमन पोर्टल बिड वाया मैनेजर लाइव इवेंट लाइव इवेंट का सिलेक्शन → ट्रांज़ैक्शन फीस → कॉमन टर्म > डॉक्यूमेंट अटैच करें > प्राइस बिड।

5. **कृपया ध्यान दें:** ट्रांज़ैक्शन फीस और EM डिटेल्स का सफल पेमेंट होने के बाद, वेंडर को अपने लॉगिन में अटैच डॉक्यूमेंट्स और कॉमन टर्म्स टैब इनेबल मिलेंगे। इस स्टेप के सफल होने के बाद, वेंडर को पोर्टल के ज़रिए लॉट स्पेसिफिक टर्म्स सेव करने और लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड सबमिट करने या प्राइस बिड सबमिट करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। अगर अटैच डॉक्यूमेंट्स और/या कॉमन टर्म्स सेव करने का स्टेप सफल नहीं होता है, तो लॉट स्पेसिफिक टर्म्स सेव करने और प्राइस बिड सबमिट करने के टैब डिसेबल हो जाएंगे। यह सफल है या पेंडिंग है, इसका स्टेटस बिड स्टेटस बटन में दिखाया जाएगा।

6. सबसे पहले वेंडर को अगर कोई कमर्शियल स्पेसिफिकेशन है, तो उसे भरना होगा और सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बिड भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार यह हो जाने के बाद, प्राइस बिड लिंक एक्टिव हो जाएगा और उसे भरना होगा और फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर जब टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट:- फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बिड डिलीट करें" ऑप्शन दिखेगा। अगर वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बिड डिलीट करना चाहता है और बिड फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बिड डिलीट करें पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

7 a) सभी मामलों में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली सबमिट करते समय अपनी ID और पासवर्ड के साथ डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए।

b) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे से और बाकी सभी से पूरी तरह अनजान रहेंगे

c) ई-निविदा प्लोर पहले से घोषित तारीख और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

d) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान सबमिट की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोली लगाने वाले द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने पर खरीदार और बोली लगाने वाले के बीच सप्लायर/काम को पूरा करने के लिए एक बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसे सफल निविदार को इसके बाद सप्लायर/कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा।

e) यह ज़रूरी है कि सभी बोलियां क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।

f) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

g) ई-निविदा डॉक्यूमेंट की शर्तों और नियमों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बिडर द्वारा ई-निविदा प्लेटफॉर्म पर बिड जमा करने का मतलब है कि उसने ई-निविदा की शर्तों और नियमों को स्वीकार कर लिया है।

h) माप की इकाई (UOM) ई-निविदा प्लेटफॉर्म में बताई गई है, कोट की जाने वाली दर भारतीय रुपये में होनी चाहिए, जैसा कि ई-निविदा प्लेटफॉर्म/निविदा डॉक्यूमेंट में UOM बताया गया है।

i) NIT में बताई गई तय तारीख और समय के बाद ई-निविदा एक्सेस नहीं किया जा सकता।

## **8. ई-निविदा में बिडिंग:**

a) ₹20,000/- की बयाना जमा राशि NEFT के ज़रिए बैंक में जमा करनी होगी।

b) NEFT/RTGS लेनदेन के लिए अकाउंट विवरण इस प्रकार हैं।

IFSC: RBIS0SLPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान का अंक शून्य)

लाभार्थी का नाम: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, शिलांग

खाता संख्या: 186003001

लेनदेन नंबर के साथ भुगतान साक्ष्य (स्कैन की गई कॉपी) अटैच/अपलोड किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे लेनदेन नंबर के साथ भुगतान साक्ष्य (स्कैन की गई कॉपी) [samadhanshillong@rbi.org.in](mailto:samadhanshillong@rbi.org.in) पर भेजें।

जिस निविदा के साथ ऐसा EMD नहीं होगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर (वेंडरों) का EMD निविदा जारी करने वाले अथॉरिटी द्वारा सही समय पर वापस कर दिया जाएगा

c) इस प्रोसेस में टेक्निकल और कमर्शियल बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है

d) जिन वेंडर (वेंडरों) ने ट्रांज़ैक्शन फीस जमा की है, वे ही MSTC वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर इंटरनेट के ज़रिए अपना टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड जमा कर सकते हैं। e-procurement PSU/Govt depts Login के तहत RBI-My menu Auction Floor Manager live event Selection of the live event।

e) वेंडर के पास चालू JAVA एप्लीकेशन होना चाहिए। यह काम बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करना होगा। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरने होंगे और उन्हें सेव करना होगा। उसके बाद, उन्हें टेक्निकल बिड पर क्लिक करना होगा। अगर यह JAVA एप्लीकेशन नहीं चलता है, तो वेंडर अपना टेक्निकल बिड सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा।

f) तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर्स को उसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार जब कमर्शियल बिड लिंक एक्टिव हो जाता है और डिटेल्स भर दिए जाते हैं, तो वेंडर्स को कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड दोनों सेव होने के बाद, वेंडर को बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।

g) वेंडर्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अटैच डॉक बटन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाता है। कई डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं।

h) सभी मामलों में, वेंडर्स को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपनी खुद की ID और पासवर्ड के साथ डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करें।

1) पूरे ई-निविदा प्रोसेस के दौरान, वेंडर एक-दूसरे से और बाकी सभी से पूरी तरह अनजान रहेंगे।

j) ई-निविदा फ्लोर पहले से बताई गई तारीख और समय से खुलेगा और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

k) ई-निविदा प्रोसेस के दौरान सबमिट की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां वेंडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने पर खरीदार और वेंडर के बीच सप्लाई को पूरा करने के लिए एक बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।

l) यह ज़रूरी है कि सभी बिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।

m) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, निविदा को पूरा या आंशिक रूप से कैंसिल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

### **निविदा दस्तावेजों की शर्तों और नियमों में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है।**

किसी भी वेंडर द्वारा ई-निविदा प्लॉर पर बिड सबमिट करने का मतलब है कि वह निविदा की शर्तों और नियमों को स्वीकार करता है।

इस निविदा से मिलने वाला कोई भी ऑर्डर इसमें बताई गई शर्तों और नियमों के तहत ही होगा।

निविदा जारी करने वाली अथॉरिटी के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को कैंसिल करने या बिड मिलने की आखिरी तारीख बढ़ाने का अधिकार है।

वेंडर्स से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले प्रणाली को समझने के लिए वेंडर गाइड पढ़ें और <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पेज पर वीडियो देखें

### **अध्याय 4 – अर्हता**

1. केमिस्ट के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत राज्य के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा जारी एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट प्रपत्रों (फॉर्म 20, 20-बी, 21, 21-बी और 21-सी) में आवेदन की तारीख तक वैध लाइसेंस होना चाहिए। उनके पास अन्य सभी लाइसेंस, मंजूरी और अनुमतियां होनी चाहिए जो दवाओं की बिक्री से निपटने के व्यापार को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। पैनल में शामिल केमिस्ट आगे यह सुनिश्चित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लाइसेंस अनुबंध अवधि के अंत तक वैध रहें।
2. केमिस्ट की दुकान/प्रतिष्ठान मुख्य कार्यालय अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, 3री मंजिल, जीएमटीडी कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फन नोंगलाइट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय – 793001 के 5 किमी के दायरे में और उसके आसपास स्थित होना चाहिए।
3. केमिस्ट के पास अनुबंध राशि के 50% के बराबर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए क्रमिक रूप से वार्षिक न्यूनतम कारोबार होना चाहिए।
4. इस दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार ₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र ) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा की जानी चाहिए।
5. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के साथ-साथ ई-निविदा के तकनीकी खंडों के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हों और उनमें से किसी का भी पालन न करने पर वह अयोग्य हो जाएगा।

6. अनुलग्नक 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार उस अनुसूचित बैंक से बैंकर का प्रमाण पत्र जहां केमिस्ट का खाता है।
7. केमिस्ट के पास वैध जीएसटी पंजीकरण और पैन होना चाहिए।
8. केमिस्ट को फर्म के लेटर हेड पर अनुलग्नक-7 में निर्दिष्ट वचन/घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

## अध्याय 5 – तकनीकी बोली का विवरण

आवेदन पत्र के निम्नांकित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग में दवाओं की आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार।
2. आवेदन की तारीख के अनुसार केमिस्ट द्वारा रखे गए वैध लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रतियां।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की प्रति।
4. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित कारोबार प्रमाण पत्र।
5. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
6. केमिस्ट के पैन की प्रति।
7. अनुलग्नक 3 में निर्दिष्ट प्रारूप अनुसार बैंकर का प्रमाणपत्र।
8. निविदाकर्ता को खाते के निरस्त चेक (कैन्सेल्ड चेक) के साथ अपने बैंकर और बैंक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
9. पिछले तीन वित्तीय वर्ष (FY 2022-23, FY 2023-24, FY 24-25) का आईटीआर दस्तावेज़।

## 10. फर्म/ साझेदारी/ स्वामित्व/ केमिस्ट/ विक्रेता के पंजीकरण की प्रति।

### अध्याय 6 – नियम व शर्तें

1. एनईएफटी के माध्यम से बोली के साथ ₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र ) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को सफल बोलीदाता के पक्ष में अधिनिर्णय देने के 15 दिनों के भीतर लौटा दिया जाएगा। अपनी वचनबद्धता/ उद्धरण के अनुसार काम न करने वाले बोलीदाताओं के ईएमडी को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के विवेक पर जब्त किया जा सकता है, जो अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं।
2. सफल बोलीदाता को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के पक्ष में अनुलग्नक 2 में दर्शाए अनुसार अनुसूचित बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करनी होगी जो अनुबंध प्रदान करने के तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुबंध की वैधता के छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगी। बोली के साथ जमा की गई ईएमडी को पीबीजी प्राप्त होने के तुरंत बाद वापस कर दिया जाएगा। पीबीजी के लिए प्रारूप अनुलग्नक-4 में दिया गया है।
3. सफल बोलीदाता अनुलग्नक-5 में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंक के साथ एक अनुबंध करेगा। अनुबंध एक वर्ष (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) की अवधि के लिए वैध होगा और आपके द्वारा उद्धृत एक समान छूट इस अवधि के लिए स्थिर और वैध रहेगी। अनुबंध को दो साल की अतिरिक्त अवधि (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है और उद्धृत समान छूट विस्तारित अवधि के लिए भी स्थिर रहेगी।
4. किसी भी परिस्थिति में अनुबंध की अवधि के दौरान छूट दर में बदलाव का अनुरोध स्वीकार/ विचार नहीं किया जाएगा।
5. दवाओं और/ या गैर-दवा वस्तुओं की डिलीवरी, प्रत्येक क्रेडिट-स्लिप में आवश्यकता के अनुसार, किसी अतिरिक्त शुल्क (परिवहन आदि के लिए) के बिना, बैंक परिसर या पट्टे के आवास पर,

ऐसे आदेश देने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यह ऑर्डर किसी भी कर्मचारी/ सेवानिवृत्त-कर्मचारी और/ या उनके आश्रितों द्वारा सेवा-प्रदाता या उसके कर्मचारियों/ एजेंटों/ असाइनियों आदि को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा सूचित वैध क्रेडिट पर्ची दिखाकर दिया जा सकता है। समय पर डिलीवरी की विफलता के परिणाम भुगतने होंगे जिसमें संविदा को रद्द करना भी शामिल हो सकता है क्योंकि समय संविदा का सार है।

6. केमिस्ट के पास आदेश को निष्पादित करने के लिए शिलांग में अपना कार्यालय होना चाहिए और अस्वीकृत सामग्री को प्राथमिकता के आधार पर बदलना चाहिए।
7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के तहत लगाए जाने वाले किसी भी शुल्क, लेवी या कर का भुगतान करने का दायित्व केमिस्ट का होगा। केमिस्ट को बैंक के परिसर और पट्टे पर आवास पर आपूर्ति के संबंध में उचित पैकेजिंग, कार्टिंग, परिवहन आदि से जुड़े सभी खर्च आदि भी वहन करने होंगे। बैंक केवल आपके प्रस्ताव के अनुसार लेबल किए गए एमआरपी कम छूट का भुगतान करेगा।
8. ईएमडी के बिना प्राप्त कोटेशन (बोलियां) और उपरोक्त क्रमांक 1 के अनुसार विवरण को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। कोई भी सशर्त कोटेशन/ प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. कोटेशन इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियत तिथि और समय पर खोले जाएंगे। आप इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए एक प्रतिनिधि को नामांकित कर सकते हैं।
10. उपरोक्त नियमों और शर्तों को पूरा करने और उच्चतम छूट की पेशकश करने का मतलब अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करना नहीं है।
11. बैंक के पास आपूर्तिकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध से पूर्ण या आंशिक रूप से वापस लेने का अधिकार होगा।
12. महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के पास प्राप्त किसी भी या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित

है। क्षेत्रीय निदेशक के पास इस दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी हिस्से में, जो बैंक के हित में उन्हें उचित लगता है, छूट देने या बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है।

13. पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त आवेदनों की बैंक द्वारा दो भागों में समीक्षा की जाएगी। भाग -1 में आवेदक को आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। भाग -2 में आवेदक वित्तीय बोली (छूट दर) प्रस्तुत करेगा। भाग-1 में प्राप्त आवेदन की बैंक द्वारा समीक्षा की जाएगी और जिनके दस्तावेज़ में जब उल्लिखित पात्रता मानदंड पूरे होंगे, भाग-11 खोला जाएगा।
14. बैंक उन केमिस्टों का भाग II (मूल्य बोली) खोलेगा जो पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता/अर्हता मानदंड में अर्हता प्राप्त करते हैं। बैंक उच्चतम समान छूट की पेशकश करने वाले एक या अधिक दवा विक्रेताओं के साथ क्रेडिट पर्चियों पर दवाओं की आपूर्ति के लिए एक वार्षिक समझौता करेगा।
15. केमिस्ट को राज्य ड्रग अथॉरिटीज़ द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी आदेशों के तहत कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
16. केमिस्ट को किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक-लिस्टेड नहीं किया गया होना चाहिए।
17. केमिस्ट को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) द्वारा बताई गई सभी दवाएं आदि सप्लाई करने के लिए सहमत होना चाहिए।
18. केमिस्ट के पास कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम होना चाहिए।

## अध्याय 7 – कार्य का दायरा

### ए. क्रेडिट स्लिप

बैंक का चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) बैंक के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में एक क्रेडिट स्लिप जारी करेगा, जिसमें पैनल में शामिल केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाएं शामिल होंगी। बीएमसी द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप (भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से) प्राप्त होने पर, केमिस्ट उचित प्रमाणीकरण अर्थात् नाम, हस्ताक्षर, पदनाम आदि प्राप्त करने के बाद मांग के आधार पर बैंक के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बीएमसी द्वारा निर्धारित क्रेडिट स्लिप पर दवाओं की आपूर्ति करेगा। यदि केमिस्ट दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान कर रहा है, तो केमिस्ट को सॉफ्ट कॉपी

में क्रेडिट स्लिप प्राप्त करने के बाद स्टाफ सदस्यों के घर पर दवाएं पहुंचानी होगी। दवाओं की डिलीवरी के समय क्रेडिट स्लिप की हार्डकॉपी एकत्र की जाएगी। यदि होम डिलीवरी उपलब्ध कराया गया है तो होम-डिलीवरी के लिए केमिस्ट द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टाफ सदस्यों के पास बैंक परिसर या उनके घरों पर क्रेडिट स्लिप पर दवाएँ प्राप्त करने का विकल्प होगा।

### **बी. डिब्बाबंद आपूर्ति**

आपूर्ति निर्माता की मूल पैकेजिंग में की जानी आवश्यक है। पैकिंग क्रेडिट स्लिप में किसी विशेष दवा / दवा की मांग की गई कुल मात्रा से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

### **सी. आपूर्ति की गई दवाओं की जीवन अवधि**

प्रत्येक दवा की अपनी शेल्फ-लाइफ अवधि होती है जैसा कि दवा के लेबल पर उल्लेख किया जाता है। आपूर्ति की जाने वाली दवाओं और गैर-औषधीय वस्तुओं की शेल्फ लाइफ आपूर्ति के समय इसकी अवधि शेल्फ लाइफ के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

### **डी. बिलों का प्रस्तुतीकरण**

मूल क्रेडिट पर्चियों के साथ भुगतान के लिए बिल हर महीने बैंक में जमा किए जा सकते हैं। किसी विशेष माह के बिल अगले माह की 10 तारीख तक जमा किये जायेंगे।

### **ई. कार्य निष्पादन बैंक गारंटी**

यदि अधिकृत केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं तो निष्पादन बैंक गारंटी लागू की जा सकती है। निष्पादन बैंक गारंटी उस मामले में भी लागू की जा सकती है यदि अधिकृत केमिस्ट:

- i) संविदा के शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है या
- ii) किसी भी घटिया, नकली दवाओं या वैकल्पिक दवाओं की आपूर्ति करता है
- iii) आपूर्ति में देरी करता है
- iv) अधिक शुल्क लेता है

केमिस्ट को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं की आपूर्ति नहीं रोकनी चाहिए।

### **एफ़. चूक पर कटौती**

विशिष्ट ब्रांड की दवाओं के मामले में, इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। यदि भुगतान के बाद या उससे पहले बाद की जांच के दौरान ऐसा कोई मामला देखा जाता है, तो केमिस्ट को ऐसी प्रत्येक चूक के लिए दवाओं और गैर-दवा वस्तुओं के विशिष्ट ब्रांड की 1000 रुपये + लागत के लिए दंडित किया जाएगा।

### **जी. चूक पर समाप्ति**

बैंक, संविदा के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता को भेजी गई चूक की लिखित सूचना (तीन महीने) द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:

- i) यदि बोलीदाता संविदा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी या सभी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है
- ii) यदि बोलीदाता संविदा के तहत किसी अन्य दायित्व(त्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।
- iii) यदि बोलीदाता, बैंक के निर्णय में, संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाओं में लिप्त है।

### **एच. अधिक केमिस्टों की नियुक्ति के अधिकार का आरक्षण**

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग विभिन्न स्थानों में किसी भी संख्या में केमिस्टों के साथ संविदा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### **आई. दवाओं और गैर-दवा वस्तुओं की आपूर्ति**

निर्धारित समय के भीतर क्रेताओं/ लाभार्थियों को दवाओं/ गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति करने में केमिस्ट की ओर से विफलता या इनकार के मामले में, केमिस्ट के जोखिम और लागत पर संविदा को समाप्त/ रद्द किया जा सकता है। वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति की व्यवस्था करने में शामिल किसी भी अतिरिक्त लागत को केमिस्ट से वसूल किया जाएगा।

आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की वस्तुएं मानक गुणवत्ता की होंगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की अवधि समाप्त हो गई है या समाप्ति की तारीख के करीब है, या घटिया या नकली पाई

गई है, तो केमिस्ट (नियुक्त अधिकृत केमिस्ट) फर्म को अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा 3 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि केमिस्ट दवाओं की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो बैंक अन्य केमिस्टों से इसे खरीदने का हकदार होगा और दोषी केमिस्ट बैंक द्वारा भुगतान की गई कीमत की पूरी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, केमिस्ट को यह दावा करने की अनुमति दी जाएगी कि सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार दवाओं और गैर-दवा वस्तुओं के लिए उसे क्या देय होगा।

### **जे. क्षतिपूर्ति**

बोलीदाता इस अनुबंध के निष्पादन में या उसके कार्य के संबंध में बोलीदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में उसके खिलाफ लाए गए या किए गए सभी कार्यों, मुकदमों, दावों और मांगों के खिलाफ और इस अनुबंध के निष्पादन में किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए बोली लगाने वाले के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। बोलीदाता भारत में प्रचलित नौकरी सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बैंक को दुर्घटनाओं या जीवन के नुकसान से उत्पन्न सभी मांगों या जिम्मेदारियों से, जिसका कारण बोलीदाता की लापरवाही है, मुक्त करेगा। बोलीदाता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्ति का भुगतान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के करेगा और बैंक को जिम्मेदार या बाध्य नहीं ठहराएगा। बैंक अपने विवेक पर और पूरी तरह से बोलीदाता की कीमत पर ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकता है, या तो बोलीदाता के साथ संयुक्त रूप से या एकल में यदि बाद में मामले का बचाव नहीं करने का विकल्प चुनता है।

### **के. भुगतान**

अधिकृत केमिस्ट दवाओं और गैर-दवा वस्तुओं की आपूर्ति के बाद भुगतान का दावा करेगा। प्रस्तुत बिलों का भुगतान आम तौर पर बिल की प्रस्तुति की तारीख से 30 कार्य दिवसों में किया जाएगा। हालांकि, अधिकृत केमिस्ट किसी भी कारण से भुगतान में देरी होने की स्थिति में ब्याज या क्षति के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं करेगा। खरीद के लिए भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए बोलीदाता को आवश्यक बैंक विवरण प्रदान करना होगा। भुगतान करते समय, आरबीआई, शिलांग स्रोत पर लागू करों में कटौती करेगा और इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

### **एल. मध्यस्थता**

बैंक और वेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, उसकी व्याख्या, उसके तहत किए जाने वाले पेमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में उनके बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, सीधे अनौपचारिक बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के 30 दिनों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक और वेंडर सौहार्दपूर्ण ढंग से कॉन्ट्रैक्ट विवाद को हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो पक्ष आपसी सहमति से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल शिलांग में होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए और लागू नियम ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे।

### **एम. गोपनीयता खंड**

केमिस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की अवसंरचना/ प्रणाली/ उपस्कर आदि की ऐसी कोई सूचना, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान केमिस्ट के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय कड़े विश्वास में रखेगा। केमिस्ट संविदा के विवरण को, सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, निजी और गोपनीय मानेगा। केमिस्ट बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को केमिस्ट की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। केमिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस संविदा के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में केमिस्ट के दायित्व इस संविदा की समाप्ति या किसी भी कारण से समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

### **एन. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन**

केमिस्ट "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत आपूर्तिकर्ता द्वारा गठित

आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और आपूर्तिकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे आपूर्तिकर्ता के कर्मचारियों से जुड़ी घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न समिति द्वारा साबित होता है। केमिस्ट अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

## अध्याय 8- संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तें

### क) संविदा की सामान्य शर्तें

**क1)** निविदाकार निविदाओं के लिए आमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से निविदा दस्तावेज प्राप्त करेगा; अन्यथा बैंक निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।

**क2)** सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

**क3)** उद्धृत दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दरों पर विचार किया जाएगा।

**क4)** निविदाकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़े और समझे।

**क5)** निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित सभी/ कोई भी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

**क6)** किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हुए बिना निविदाकर्ता का ट्रैकरिकॉर्ड साफ होना चाहिए।

**क7)** किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए निविदाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया हो या उसे कोई दंड नहीं भुगतना पड़ा हो। निविदाकर्ता को किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/ डीलिस्टेड / ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए या उसके खिलाफ शुरू की गई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए (इस संबंध में लेटर हेड पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए)।

**क8)** निविदाकर्ता को संविदा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी संविदा को रद्द/ त्याग नहीं करना चाहिए। निविदाकर्ता को अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देना होगा और उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

### **ख) निविदाओं को अयोग्य घोषित करने/अस्वीकार करने की स्थितियाँ**

**ख1)** निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई भी प्रचार या उनके चयन के संबंध में कोई प्रचार या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता लगाया जाता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

**ख2)** सभी निविदाएं सभी संलग्नकों /अनुलग्नकों व संबंधित सभी दस्तावेज के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण फॉर्म, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना प्राप्त बोलियों को बैंक द्वारा सही और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**ख3)** फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस मामले पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**ख4)** निर्धारित ईएमडी/ प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**ख5)** नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**ख6)** सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और कोई अतिरिक्त खंड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**ख7)** निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई भी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।

**ख8)** इस अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

**ख9)** वैकल्पिक प्रस्ताव/ प्रस्तुति की अंतिम तिथि बढ़ाने के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### **ग) भुगतान की शर्तें**

**ग1)** बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों को छोड़कर, मासिक अंतराल पर प्राप्त पूर्ण और स्पष्ट बिलों का भुगतान स्पष्ट और पूर्ण बिलों की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के बाद नहीं किया जाएगा।

**ग2)** भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए सेवा प्रदाता को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

**ग3)** जारी किए गए चालान/बिल को क्रमांकित किया जाना चाहिए और इसमें सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता का नाम और पता, सेवा का विवरण, उस पर देय करों का मूल्य आदि होना चाहिए। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

**ग4)** यह सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा कि वह बिलों पर बैंक द्वारा भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को प्रेषित करे।

**ग5)** सभी भुगतान केवल एनईएफटी / आरटीजीएस चैनल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक खाता विवरण बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

**ग6)** एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की तारीख के दस (10) दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

### **घ) अनुबंध प्रदान करने के बाद ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए**

**घ1)** सफल निविदाकर्ता अनुलग्नक IV (मानक प्रारूप) में निर्दिष्ट निष्पादन बैंक गारंटी निष्पादित करेगा।

**घ2)** स्वीकृति की लिखित पुष्टि के बाद सफल निविदाकर्ता और बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल दस्तावेज को बनाए रखेगा और सेवा प्रदाता को डुप्लिकेट दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी सेवा प्रदाता द्वारा वहन और भुगतान की जाएगी।

### **ङ) बैंक के अधिकार**

**ङ1)** बैंक के पास निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोली खोलने की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

**ङ2)** बैंक किसी भी/सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना किसी दायित्व या कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**ङ3)** यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ समझौते के निष्पादन के समय बोलीदाता पर ऐसे अन्य नियम और शर्तों को लागू करने या उनसे सहमत होने की आवश्यकता से या इसमें शामिल नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या हटाने, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है, से नहीं रोकेंगे।

**ड4)** सेवा प्रदाता या उसके एजेंट/कर्मचारी/चालक जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक की राय में बिना किसी नोटिस या उसके बदले में किसी मुआवजे के तुरंत बाद दंड और/या समझौते को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

**ड5)** उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, समझौते की अवधि के दौरान दोनों पक्षों से तीन महीने की नोटिस के साथ समझौते को समाप्त किया जा सकता है।

### **च) अप्रत्याशित घटना**

इस दस्तावेज़ में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे (बिना किसी सीमा के वैधानिक प्राधिकार, दैवीय कृत्य, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक विद्रोह, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली देरी सहित) परिस्थितियों के कारण होती है, बशर्ते कि पार्टी के आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कोई भी देरी उस पार्टी को देरी के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से परे हो।

### **छ) अस्वीकरण**

**छ1)** यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकर्ताओं को स्वयं संतुष्ट होना होगा कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।

**छ2)** किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जाएगी। यदि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तारीख से तीन (3) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।

**छ3)** बैंक सभी प्रारूपों और अनुबंधों सहित इस दस्तावेज़ को आशोधित, संशोधित या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**छ4)** हालाँकि यह दस्तावेज़ अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व जो भी

हो, यहां किसी भी कथन या चूक के संबंध में, या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में, स्वीकार करते हैं, और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, विधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो।

## ज) छूट

केमिस्ट को संविदा के तहत की जाने वाली आपूर्ति की सभी मदों के संबंध में स्ट्रिप/ बॉटल/ यूनिट पैक पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट का उल्लेख करना चाहिए, चाहे वे किसी भी ब्रांड या निर्माता हों। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के तहत लगाए गए किसी भी शुल्क, लेवी या करों का भुगतान करने का दायित्व केमिस्ट का होगा। बैंक केवल लेबल एमआरपी से छूट प्राप्त होने के बाद के मूल्य का भुगतान करेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई छूट और बैंक द्वारा स्वीकार की गई छूट एक वर्ष (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) की अवधि के लिए वैध रहेगी, तत्पश्चात् नवीकरण के समय प्रचलित परिस्थितियों अर्थात् उस समय देश के कानूनों और नीतियों में किसी बड़े परिवर्तन के आधार पर संविदा के नवीकरण के समय इसकी समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं द्वारा समान ब्याज दर उद्धृत करने पर, जिस बोलीदाता की दुकान बैंक कार्यालय के करीब (दूरी) पर होगी को चुना जाएगा। हालांकि, यह केवल क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, शिलांग की अनुमति से ही किया जा सकता है।

## झ) गैर-प्रकटीकरण

सफल निविदाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी या सामग्री और बैंक की संरचना / प्रणालियों / उपकरणों आदि के विवरण का खुलासा नहीं करेगा जो किसी तीसरे पक्ष को इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान एजेंसी के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। एजेंसी संविदा के विवरण को, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, निजी और गोपनीय मानेगी। एजेंसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगी। एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप

नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में एजेंसी का दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या अंत पर बना रहेगा।

### **ज) विक्रेता की मृत्यु या दिवालियापन**

यदि निविदाकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह स्वेच्छा से परिसमापन में चला जाता है या उसे उसके विरुद्ध बने दिवाला अधिनियम के तहत आदेश या इससे संबंधित अन्य कोई आदेश प्राप्त होता है, या किसी कंपनी के नाम पर या, किसी भी प्रस्ताव को पारित करने, या स्वेच्छा से या अन्यथा समापन के लिए कोई आदेश देने, या विक्रेता द्वारा यहां निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में निविदाकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो, बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने की शक्ति होगी। विक्रेता के उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रेता की मृत्यु के मामले में या अनुबंध के तहत उसके कर्तव्यों या कार्यों को जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। विक्रेता द्वारा उपरोक्त सहमति से अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने की स्थिति में, और विक्रेता के एक कंपनी होने और इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय इस उद्देश्य के लिए और अपने व्यवसाय को किसी भी व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बंद होने की स्थिति में, विक्रेता इसे इस संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों में से एक बना देगा, कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी, इस अनुबंध के तहत विक्रेता के कर्तव्यों या कार्यों का पालन करना जारी रखेगा और उसके तहत अपनी देनदारियों के अधीन होगा। मृत्यु का प्रमाण और इस आशय के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लिखित रूप में बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के बिना, यदि विक्रेता की मृत्यु हो जाती है, तो एकमात्र स्वामित्व उपरोक्त आशय के मामले में, बैंक के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा, जो संविदा के उल्लंघन के बराबर नहीं है।

### **ट) भ्रष्ट, कपटपूर्ण, या अनैतिक प्रथाएं**

बैंक के लिए यह आवश्यक है कि क्रेडिट पर्ची के तहत दवाओं की आपूर्ति के दौरान केमिस्ट नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करे। आपूर्ति की जाने वाली दवाएं/औषधियां मानक गुणवत्ता की होनी चाहिए जैसा कि क्रेडिट पर्चियों में दर्शाया गया है। इसके अनुसरण में, शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:

- क.** केमिस्ट पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया में बैंक के किसी भी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी कीमत की किसी वस्तु की पेशकश, देने, प्राप्त करने या अनुरोध करने का सहारा नहीं लेगा।
- ख.** केमिस्ट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का सहारा नहीं लेगा।
- ग.** बैंक किसी केमिस्ट को या तो अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, यदि किसी भी समय, यह निर्धारित होता है कि केमिस्ट पैनलबद्ध प्रक्रिया और उस पर काम के निष्पादन में भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल है।
- घ.** शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने विवेक पर, निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी भी केमिस्ट के संबंध में पैनल को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:
  - i. घटिया/नकली/स्थानापन्न दवाओं की आपूर्ति,
  - ii. बिल में अधिक शुल्क वसूलना
  - iii. यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की तारीख समाप्त हो गई है या समाप्ति की तारीख के करीब है
  - iv. यदि रसायनज्ञ पैनल के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है
  - v. निर्णय के अनुसार बैंक भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण में लिप्त है।
- ङ.** यदि ऊपर (घ) में दर्शाया गया ऐसा कोई मामला भुगतान के बाद या उससे पहले बाद की जांच के दौरान देखा जाता है, तो केमिस्ट बैंक द्वारा पहले ही भुगतान की गई विवादित/ अतिरिक्त राशि वापस कर देगा, संबंधित दवाओं को बदल देगा। बैंक देय भुगतान रोक सकता है या केमिस्ट को देय राशि से ऐसी आपूर्ति की लागत वसूल कर सकता है।

**अनुलग्नक 1 – आवेदन प्रपत्र**

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा क्रेडिट स्लिप पर जारी दवाओं की आपूर्ति के लिए केमिस्ट के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1.	केमिस्ट का नाम	
2.	गठन (कंपनी / भागीदारी / स्वामित्व)	
3.	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण सं और तिथि)	
4.	कारोबार शुरू करने की तिथि	
5.	जीएसटी पंजीकरण संख्या	
6.	पैन	
7.	बैंक के प्रति प्रतिबद्धता बनाने के लिए अधिकृत मालिक/साझीदार/निदेशक/पदनाम सहित अधिकारी का नाम।	
8.	टेलीफोन नंबर मोबाईल नंबर ई-मेल	
9.	दुकान/प्रतिष्ठान का पता	
10.	क्या केमिस्ट के पास Drugs and Cosmetics Act, 1940 के प्रावधान के तहत राज्य के Drug Control Authority औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन की तिथि पर वैध लाइसेंस है। कृपया लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करें।	
11.	पिछले तीन वर्ष के लिए दाखिल आयकर विवरणी की प्रति(2022-23, 2023-24,2024-25)	

12.	क) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट की प्रतियां(2022-23, 2023-24,2024-25) ख) क्या केमिस्ट का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर अनुबंध राशि के बराबर है?	
13.	क्या केमिस्ट को State Drug Controller द्वारा दोषी ठहराया गया है या Drugs and Cosmetics Act and और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत केमिस्ट के खिलाफ कोई मामला लंबित है।	
14.	क्या बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है	
15.	प्रधान बैंकर का नाम, पता और फ़ोन नंबर	
16.	क्या केमिस्ट बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) द्वारा निर्धारित सभी दवाओं आदि को बैंक परिसर में आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है	_____ (हाँ/ नहीं)
17.	क्या केमिस्ट बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) द्वारा निर्धारित सभी दवाओं आदि को पट्टे पर दिए गए आवासों में आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है	_____ (हाँ/ नहीं)
18.	क्या केमिस्ट फर्म के लेटर हेड पर अनुबंध-7 में निर्दिष्ट वचनपत्र /घोषणापत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया है।	
19.	क्या केमिस्ट ने राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट प्रपत्रों (फॉर्म 20, 20-बी, 21, 21-बी और 21-सी) में आवेदन की तिथि तक औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और लागू किसी	

	भी अन्य कानून के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जमा की है।	
20.	क्या केमिस्ट ने दुकान/प्रतिष्ठान के पते के प्रमाण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।	
21.	क्या केमिस्ट ने जीएसटी प्रमाणपत्र और पैन की प्रति जमा की है।	

मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा जारी नोटिस को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें दवाओं/औषधियों की आपूर्ति के लिए केमिस्टों/ड्रुगिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड और नियम और शर्तें शामिल हैं। मैं अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नाम:

हस्ताक्षर

पदनाम:

तिथि:

**अनुलग्नक 2 - अपेक्षित वार्षिक खरीद और अपेक्षित टर्न ओवर तथा निष्पादन गारंटी की राशि का विवरण**

1. अपेक्षित वार्षिक खरीद की राशि: रु 10,00,000/-
2. अर्हता के लिए अपेक्षित टर्न ओवर: रु 5,00,000/-
3. पीबीजी जमा करने तक जमा की गई बयाना राशि की राशि: रु 20,000/-
4. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) की राशि: रु 1,00,000/-
5. ईएमडी (बयाना जमा राशि ) की राशि पीबीजी (कार्य निष्पादन बैंक गारंटी) जमा करने पर वापस कर दी जाएगी।

### अनुलग्नक 3 – बैंकर प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

बारीक ,पूर्वी खासी हिल्स

शिलांग

#### एक अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और सूचना के अनुसार, मेसर्स /श्री/श्रीमती -----  
----- के पास उल्लिखित पता होने के कारण, हमारे बैंक का  
ग्राहक सम्मानित है और इसे रुपये ----- (रुपये -----  
-----) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए उचित माना जा  
सकता है ।

बैंक के लिए

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

तिथि:

नाम और पदनाम:

बैंक के लिए

नोट:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, कवर में सील किया जाना चाहिए और नामांकन प्राधिकरण को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नामों को शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

## अनुलग्नक 4 – निष्पादन बैंक गारंटी का फॉर्मेट

निष्पादन बैंक गारंटी प्रपत्र (राशि के लिए)

महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिलांग

इसके बाद "सफल बोलीदाता" कहे जाने वाले \_\_\_\_\_ (सफल बोलीदाता का नाम) ने भारतीय रिज़र्व बैंक शिलांग में दवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा संख्या \_\_\_\_\_ पर सहमति प्रदान की है, जिसे \_\_\_\_\_ को पैनल में शामिल करने के अनुरोध दस्तावेज और आरबीआई शिलांग द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ को जारी कोटेशन के अनुरोध के अनुसरण में "संविदा" कहा जाता है।

और जबकि यह निविदा दस्तावेज की शर्तों में से एक है कि सफल बोलीदाता को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि उक्त अनुबंध में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सफल बोली लगाने वाले को उक्त अनुबंध के अनुसार सफल बोली लगाने वाले के निष्पादन दायित्वों के अनुपालन के लिए सुरक्षा के रूप में उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एक अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि हम सफल बोली लगाने वाले को गारंटी देने पर सहमत हुए हैं।

इसलिए हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम गारंटर हैं और कुल ..... तक आपके प्रति उत्तरदायी हैं और हम आपकी पहली लिखित मांग पर, सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध के तहत डिफॉल्ट घोषित करने पर और बिना किसी हिचकिचाहट या तर्क के, पूर्वोक्त राशि के भीतर कोई भी राशि या राशि का, आपकी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के बिना, भुगतान करने का वचन देते हैं।

2. आपके कार्यालय से एक पत्र कि सफल बोली लगाने वाले ने अनुबंध के तहत और उसके अनुसार अपने सभी या किसी भी दायित्व के उचित और वफादार प्रदर्शन में चूक की है, वह हमारे लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। हम इस बात से भी सहमत हैं कि आप इस बात के एकमात्र न्यायाध्यक्ष होंगे कि क्या सफल बोली लगाने वाला अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के उचित और वफादार प्रदर्शन में चूक कर रहा है और आपका निर्णय कि वह डिफॉल्ट है, आपके और सफल बोलीदाता के बीच किसी भी मतभेद या आपके और उसके बीच किसी मध्यस्थ या किसी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के बावजूद हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. इस गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए आप ऐसे कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम मुख्य देनदार हैं और हमारे गठन या सफल बोली लगाने वाले के संविधान में कोई भी बदलाव, किसी भी तरह, या तरीके से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आपको इस गारंटी के तहत हमारी देयता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय, अनुबंध के नियमों और शर्तों को बदलने या अनुपालन के लिए समय या अवधि का विस्तार करने या अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग को स्थगित करने या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने से लागू करने या स्थगित करने की स्वतंत्रता होगी और हम आपके द्वारा ऐसी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग या आपकी ओर से अन्य सहनशीलता, भोग, कार्य या चूक से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व या दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

5. हम इस गारंटी को इसके चालू रहने के दौरान रद्द नहीं करने का वचन देते हैं

6. अनुरोध, मांग या अन्यथा के माध्यम से कोई भी नोटिस हमें \_\_\_\_\_ शाखा में संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे ऐसे नोटिस प्राप्त करने और उसके तत्काल भुगतान को प्रभावी करने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजा गया है तो यह माना जाएगा कि यह उस समय दिया गया है जब इसे डाक के माध्यम से उचित समय पर पहुँचाया जाना चाहिए था और ऐसे नोटिस को साबित करने में, जब डाक द्वारा दिया जाता है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि नोटिस वाला लिफाफा डाक द्वारा प्रेषित किया गया था और आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कि लिफाफा इस तरह पोस्ट किया गया था, निर्णायक होगा।

7. यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और एक वर्ष की अवधि तक या अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा इसे जारी किए जाने तक लागू और प्रभावी रहेगी।

8. प्रदर्शन बैंक गारंटी अनुबंध की वैधता अवधि के बाद छह महीने तक वैध रहनी चाहिए। प्रदर्शन बैंक गारंटी बैंक द्वारा लागू किए जाने के लिए उत्तरदायी है और लागू प्रदर्शन बैंक गारंटी की आय बैंक द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी यदि इस अनुबंध के अनुसरण में उन पर रखे गए इंडेंट के खिलाफ अधिकृत केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाएं बाद में चोरी पाई जाती हैं या गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं। यदि अधिकृत केमिस्ट निम्नलिखित करती है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जब्त की जा सकती है:

- i) अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या
- ii) किसी भी उप-मानक, नकली दवाओं या स्थानापन्न दवाओं की आपूर्ति करता है
- iii) आपूर्ति में विलंब
- iv) अत्यधिक दाम लगाना

2026 ..... के इस तिथि को हस्ताक्षरित और मुहरबंद

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रस्तुत

के लिए और की तरफ से

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

## अनुलग्नक 5 – संविदा का फॉर्मेट

### वार्षिक संविदा प्रपत्र

यह करार ....., 2026 की तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग  
 .....(खरीदार का नाम और पता) एक पक्ष "खरीदार" और  
 ..... (केमिस्ट का नाम और पता) इसके बाद दूसरे भाग के रूप  
 में 'केमिस्ट' के बीच निष्पादित किया गया।

जबकि खरीदार रियायती मूल्य पर क्रेडिट स्लिप पर अपने स्टाफ के सदस्यों को दवाएं प्रदान करने का इच्छुक है और उसने उन सामानों की आपूर्ति के लिए केमिस्ट द्वारा बोली स्वीकार कर ली है।

अब एतद् द्वारा निम्नलिखित सहमति बनी है:

इस करार में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो निर्दिष्ट संविदा की शर्तों में दिए गए हैं।

निम्नलिखित दस्तावेजों को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा, पढ़ा और समझा जाएगा, जैसे:

2.1 पैनाल/निविदा दस्तावेज दिनांक .....केमिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया गया।

2.2 उद्धरण दस्तावेज दिनांक ..... केमिस्ट द्वारा प्रस्तुत, बोली के नियम और शर्तें।

क) खरीदार का अवार्ड नोटिफिकेशन

ख) यह एग्रीमेंट 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैलिड है।

2.3 खरीदार के अधिनिर्णय की अधिसूचना

जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, खरीदार द्वारा केमिस्ट को किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए, केमिस्ट खरीदार के साथ सामान और सेवाएं प्रदान करने और संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी मामलों में उनमें दोषों को दूर करने का अनुबंध करता है। इसके द्वारा खरीदार वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और उनमें दोषों के उपचार के लिए केमिस्ट को संविदा के प्रावधानों के तहत समय पर और अनुबंध द्वारा निर्धारित तरीके से देय राशि का भुगतान करने का अनुबंध करता है।

खरीदार इसके द्वारा सप्लायर को सामान और सेवाओं की सप्लाई के बदले में, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत या कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसी कोई दूसरी रकम देने का वादा करता है।

5. सप्लायर द्वारा सप्लाई/प्रदान किए जाने वाले सामान और सेवाओं का विवरण निविदा डॉक्यूमेंट या खरीदार के इंडेंट में लिस्ट के अनुसार है। किसी भी कमी/खराबी के मामले में, खरीदार का फैसला अंतिम होगा।

6. सप्लायर खरीदार के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम/उपकरण आदि की कोई भी जानकारी और डिटेल्स (जो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिल सकती है) किसी तीसरे पक्ष को (सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं बताएगा। सप्लायर किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर में काम का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा और न ही बताएगा। सप्लायर खरीदार को ऐसे किसी भी खुलासे के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान से बचाएगा।

7. सप्लायर 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013' के प्रावधानों के अनुसार खरीदार की किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाएगा।

बैंक के लिए और उसकी ओर से

केमिस्ट के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

नाम:

नाम:

पदनाम:

पदनाम:

**अनुलग्नक 6 – मूल्य बोली का फॉर्मेट****मूल्य बोली**

द्वारा:

फोन/ फ़ैक्स और मोबाइल नंबर के साथ बोलीदाता का पूरा पता:

महाप्रबंधक,

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग

महोदय,

बैंक के पैनलबद्ध दस्तावेज़ दिनांक \_\_\_\_\_ में उल्लिखित नियमों, शर्तों और अन्य विवरणों को पूरी तरह से पढ़ने और समझने के बाद, मैं/हम एतद्वारा बैंक के कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के चिकित्सा सलाहकार द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप पर नीचे दी गई दर पर दवाएं/औषधियाँ उपलब्ध कराने की पेशकश करते हैं: -

- 1) आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट की पेशकश-

आपूर्ति दवाई	:
	(प्रतिशत – अंकों में)
	:
	(प्रतिशत – शब्दों में)

- 2) मैं पैकिंग, कार्टेज और परिवहन व्यय (यदि कोई हो) वहन करने का वचन देता हूँ और उपरोक्त आपूर्ति पर कानून के तहत आवश्यक या आवश्यक सभी करों, जीएसटी / लेवी / उपकर आदि को भी वहन करता हूँ। खरीदार (बैंक) उपर्युक्त उद्धृत छूट से कम केवल मुद्रित खुदरा मूल्य का भुगतान करेगा। मैं खरीदार (बैंक) से ऐसा कोई कर नहीं लूंगा।
- 3) मैं आपूर्ति की सभी मदों पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर छूट की उपर्युक्त उद्धृत दर को अनुबंध की अवधि तक वैध रखने का वचन भी देता हूँ।
- 4) मैं यह भी वचन देता हूँ कि सभी दवाएं क्रेडिट पर्ची के अनुसार प्रदान की जाएंगी और कोई "वैकल्पिक दवाएं" प्रदान नहीं की जाएंगी।

हस्ताक्षर

तिथि

नाम

मुहर

**अनुलग्नक 7 – वचनपत्र/ घोषणापत्र का फॉर्मेट**

**नियम और शर्तों की स्वीकृति के लिए प्रमाण पत्र  
(केमिस्ट द्वारा अपने लेटर हेड पर अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना है)**

हम घोषणा करते हैं कि एजेंसी/ दुकान/ फर्म के खिलाफ जांच /पूछताछ /परीक्षण के तहत कोई मामला/ आरोप नहीं है। मुझे/ हमें किसी भी सरकारी विभाग/ वित्तीय संस्थान द्वारा प्रतिबंधित और डी-लिस्ट नहीं किया गया है/ किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है/ पिछले 10 वर्षों से कानून की अदालत/ पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है। मैं/ हम यह भी घोषणा करते हूँ/ हैं कि मैं बैंक परिसर में बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) द्वारा निर्धारित सभी दवाओं आदि की आपूर्ति करूंगा/ करेंगे।

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

केमिस्ट के फर्म की मुहर

तिथि:

दिनांक: